लोक–सुनवाई का वृत

सर्वश्री अमित सिंह, जिला– लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित मौजा– नोनगढ़, रेत ब्लॉक संख्या– 10 (कुल क्षेत्रफल– 39.3 हेक्टेयर), ग्राम– रामपुर, प्रखंड– चानन, जिला– लखीसराय मे बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 31.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ई–किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला– लखीसराय के प्रांगण में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक–सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारो) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2058/ 2022, दिनांक 12.01.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "द टाइम्स ऑफ इंडिया", "हिन्दुस्तान टाईम्स", "अंग भारत", तथा "दैनिक जागरण" के माध्यम से दिनांक 28.04.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक–सुनवाई मे उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतू अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री श्रीकांत हाजरा ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एव कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा– नोनगढ़, रेत ब्लॉक संख्या– 10 (कुल क्षेत्रफल– 39.3 हेक्टेयर), प्रखंड– चानन, जिला– लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा अमित सिंह को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 10 में प्रतिवर्ष 4,88,106 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹13.69 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है।
2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिरारो नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र मे वाहनों के आवागमन हेतू अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री हिमांशु कुमार, पिता– श्री संजय कुमार, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय	परियोजना प्रस्तावक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ढुलाई वाहनों द्वारा अभद्र गानों को

जतर तक की क्षेत्र छोड़ा

	के द्वारा ढुलाई वाहनों द्वारा अभद्र गानों को बजाने से रोक लगाने के लिए कहा गया।	नहीं बजाने दिया जाएगा। इसके लिए अच्छी तरह से निगरानी की जाएगी।
2.	श्री कुंदन कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा बालू खनन से उत्पन्न धूलकण के रोकथाम के उपायों की जानकारी मांगी गई।	वृक्षारोपण धूलकणों को रोकने में सहायक है, इसलिए सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। स्कूल के समय में बालू ढुलाई नहीं किया जाएगा। साथ ही बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा जिससे धूलकणों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकेगा।
3.	श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय द्वारा अवैध बालू खनन को रोकने की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सघन जॉच किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि इसी माह में अवैध रूप से बालू ढुलाई करने वाले वाहनों पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना भी किया गया है।
4.	श्री मुरारी कुमार, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा स्थानीय रोजगार की जानकारी मांगी गई।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाईजर, मजदूर, ढुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी, वनपोषक आदि शामिल होंगे। इसके लिए कैंम्प लगाकर तथा ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय लोगों को विभिन्न रोजगार की सूचना दी जाएगी। लोगों के रोजगार के लिए कमिटी गठित की जाएगी जिसके द्वारा लोगों को स्थानीय रोजगार संबंधित जानकारी दिया जाएगा।
5.	श्री मिथिलेश पंडित, ग्राम– धरमपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा नदी के किनारे जमीन पर वृक्षारोपण संबंधित जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि परियोजना में 393 वृक्षों का लगाया जाना प्रस्तावित है परंतु इससे कहीं अधिक सघन रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा।
6.	श्री शंभु सिंह, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित जमीन बट्टा में पड़ता है जिसका बालू समाप्त हो चुका है। जो खनन कार्य हो रहा है वह रैयती जमीन में खनन किया जा रहा है। इसमें बट्टा मौजा का नाम अंकित होना चाहिए।	खनन विकास पदाधिकारी के द्वारा इसकी जाँच कर आश्वासन दिया गया।

7	श्री राम सिंह, ग्राम– बट्टा रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि सरकारी जमीन में सरकारी टयूब वेल होना चाहिए। साथ ही अवैध खनन के रोकने की जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टयूब–वेल का आश्वासन दिया गया है। साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अवैध खनन के मामले में थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई जाएगी।
8	श्रीमती उषा देवी, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक के आश्वासन दिया गया कि खनन के कार्य में गांव के महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। इसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, रसोईया, वनपोषक आदि शामिल होंगे।
9	श्रीमती सरिता देवी, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जानकारी मांगी गई।	परियोजना प्रस्तावक के पीने का पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया।
10	श्री शत्रुघ्न कुमार सिंह, ग्राम– रामपुर, प्रखण्ड– चानन, लखीसराय के द्वारा खनन से गांव का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे।	बालू खनन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि द्वारा 1 मीटर की गहराई तक की जाएगी। खनन का कार्य भूगर्भीय जल स्तर से नीचे नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही गांव के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए Rain Water Harvesting को प्रयोग में लाया जाएगा।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतू वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
बेगूसराय।

अपर समाहर्ता
लखीसराय।

उपस्थिति सूची

सर्वश्री अमित सिंह, जिला– लखीसराय के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत किउल नदी स्थित मौजा– रामपुर, नोनगढ़, रेत ब्लॉक संख्या– 10 (कुल क्षेत्रफल– 39.3 हेक्टेयर), प्रखंड– चानन, जिला– लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई–किसान भवन, चानन ब्लॉक परिसर, जिला– लखीसराय के प्रांगण में दिनांक 31.05.2023 (बुधवार) को आयोजित लोक सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्वःहस्ताक्षरित उपस्थिति–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधांशु शेखर	ADM cum AC, Lakhisarai	[signature] 31/05/23
2	एस० बी० राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, बरौनी, बेगूसराय	[signature]
3	रणधीर कुमार (MDO, Lakhisarai)	खनिज विकास पदा०, लखीसराय	[signature] 31/05/2023
4	S. Hazra, Project consultant, PAM Solution	Noida, UP 7001593219	[signature] 31.05.2023
5	Shayam Kumar	Lakhisarai	[signature]
6	Mohan Rai	Rampur	Mohan Rai
7	Pintoo kumar	Rampur	[signature]
8	Buttu Ray	Batta	Buttu
9	Shri Krishna	Batta Rampur	Shri Krishna
10	Sri Ram singh	Rattha Rampur	[signature]
11	श्याम सिंह	रामपुर	श्याम सिंह
12	रामबहादुर सिंह	रामपुर	रामबहादुर सिंह
13	सोवरन सिंह	रामपुर	सोवरन सिंह

14	प्रमेश्वर यादव	मलुआ रामपुर	प्रमेश्वर
15	अमन कुमार		अमन कुमार
16	सोनू कुमार		सोनू कुमार
17	अमित कुमार		अमित कुमार
18	विकास कुमार		विकास कुमार
19	कन्हैया कुमार		कन्हैया कुमार
20	नरेश यादव	रामपुर	नरेश यादव
21	अशोक सिंह	"	अशोक सिंह
22	दीपक कुमार	"	दीपक कुमार
23	मिथलेश पांडेय	धरमपुर	मिथलेश पांडेय
24	Jogendra Paswan	Dharampur	Jogendra Pas
25	रामानन्द सिंह	चानन	रामानन्द सिंह
26	देवेन्द्र कुमार	चानन	देवेन्द्र कुमार
27	कृष्ण कुमार	रामपुर (बड़ा)	कृष्ण कुमार
28	Dhananjay Kumar	रामपुर (बड़ा)	Dhananjay Kumar
29	Shashank Kumar	Chanan	Shashank
30	Mohit Kumar	(बड़ा)	Mohit
31	श्रवण कुमार	"	श्रवण कुमार

32	सीरक सिंह	रामपुर	सीरक सिंह
33	रजनीश कुमार	रामपुर	[illegible]
34	प्रभु कुमार चौधरी	रामपुर	Prabhu Kum
35	राजेश नाथ		राजेश नाथ
36	रामप्रवेश साव	रामपुर	
37	राजेश कुमार	रामपुर	राजेश कुमार
38	मनोज कुमार	रामपुर	मनोज कुमार
39	उषा देवी	चानन	
40	सुशीला देवी	चानन	
41	कविता देवी	रामपुर	
42	बबीना देवी		बबीना देवी
43	मोनू कुमार	चानन	मोनू कुमार
44	Kundan kus	Chanman	Kundan kus
45	Himanan	Rampur	[illegible]
46	Vimaldeep	मलिया	Vimaldeep
47	Munna k	रामपुर	[illegible]
48	Kamleshkumar	चानन	Kamlesh
49	मनीष कुमार	रामपुर इटौन	manish kr

50.	अविनाश -	इटहर चानन	अविनाश -
51	Manoj Singh	Harun Chanan	[illegible]
52	Amit km	चानन	[illegible]
53	साकेत कुमार	चानन	साकेत
54	प्यारी देवी	चानन	
55	सुधीर यादव	बर्दपुर	
56	सोनेन्द्र सिंह	रामपुर	सोनेन्द्र सिंह
57	हरितानन्द कुमार	रामपुर	हरितानन्द कुमार
58.	मनीष सिंह	रामपुर	मनीष सिंह
59.	रजनीश कुमार	चानन	रजनीश कुमार
60.	संजीत कुमार	चानन	संजीत कुमार
61.	राधा कृष्णा कुमार	रामपुर	राधा कृष्णा कुमार
62	मनीष कुमार	"	मनीष कु
63	अवलेश सिंह	चानन	अवलेश सिंह